उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०–05 / 2022–23

सरकार

–बनाम–

संतोष प्रजापति

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1023 / अप०शा० दिनांक –22.04.2022 के द्वारा वादी स० अ० नि० रंजन कुमार सिंह पे०–नवल किशोर सिंह सा०–साकिन–विशुनपुर रोड़ नियर सी०डी० कॉलोनी थाना–झुमरी जिला–कोड़रमा वर्तमान स० अ० नि० रायडीह थाना जिला–गुतला के कम्पयुटरीकृत आवेदन के आधार पर डुमरी थाना काण्ड सं०–08 / 2022 दिनांक–24. 01.2022 धारा–272 / 273 भा०द०वि० 47(ए) उत्पाद अधिनियम के तहत् अवैध रुप से शराब बिक्री करने के आरोप में जप्त वाहन सं० –KWID JHO7G -8945 के मालिक संतोष प्रजापति पे०–कुशन प्रजापति सा०–कुम्हारटोली थाना–गुमला जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया गया है कि रायडीह थाना कांड संख्या 08 / 2022 में जप्त वाहन को उत्पाद विभाग द्वारा मासिक लोक अदालत में सुलह कर उत्तरवादी से जुर्माना राशि जमा करने के उपरान्त जप्त वाहन को विमुक्त भी कर दिया गया है। उत्रवादी के द्वारा वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

तद्आलोक में इस वाद की कार्यवाही बिना किसी फलाफल के समाप्त की जाती है।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

28.02.23

उपायुक्त,
गुमला

28.02.23

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.03.06 12:34:27 +05:30
Location: 192.168.5.117

Scanned with OKEN Scanner